

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.12(6)साप्र/2/2023-02303

जयपुर, दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षरित

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम घोषणा के अनुसार राज्य में 309 नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर आम चुनाव माह अगस्त-सितम्बर, 2026 में करवाये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त नगरीय निकायों में घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 27.08.2026 को जारी होगी एवं नगरीय निकायों में प्रथम चरण का मतदान दिनांक 09.09.2026 (बुधवार) तथा द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 11.09.2026 (शुक्रवार) को होगा। अतः आदर्श आचार संहिता के भाग-7 की पालना के साथ-साथ निम्नांकित बिन्दुओं की पालना भी सुनिश्चित करवाने का श्रम करें:-

- माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
- माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
- माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाएँ।
- माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
- सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
- सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे। उक्त आदर्श आचार संहिता बोर्ड/निगम के अध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है पर भी समान रूप से लागू होंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
- प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- सचिव, लोकसूक्त सचिवालय, जयपुर।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- सचिव (जे.के.एस), मा0 मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
- संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 6751 दिनांक 19.08.2026 के क्रम में।
- निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, जयपुर।
- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान।
- समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं पब्लिक निदेशक।
- प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
- रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव

RajKaj Ref No.
24241243



Digitally signed by MAN
MOHAN GOUR
Designation: Senior Deputy
Secretary To Government
Date: 2026-08-27 10:48:16
IST

v-1.0

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2026/ 7380

दिनांक : 27-8-26

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (नगरपालिका), राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप सचिव